न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4024–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–10–2015 पारित द्वारा नायब तहसीलदार कोलारस जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 01/2015–16/अ–70.

ठाकुरलाल पुत्र तिलुआ सैहर
निवासी ग्राम पडोरा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी म0प्र0

------- आवेदक

विरूद्ध

1. औतार सिंह जाट पुत्र हुकुम सिंह जाट
2. श्रीमती सोमोती पत्नी औतार सिंह जाट
   निवासीगण ग्राम टेंहर की तहसील व जिला
   पलवल हरियाणा हाल निवासी ग्राम टीला
   तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0
3. सीताराम रावत पुत्र नारायण सिंह रावत
4. धर्मेन्द्र रावत पुत्र सीताराम रावत
5. हरवीर रावत पुत्र सीताराम रावत

निवासीगण ग्राम पडोरा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी म0प्र0

------- अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक आवेदक
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 एवं 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 एव 2 ने नायब तहसीलदार कोलारस के समक्ष आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3 लगायत 5 के विरूद्ध संहिता की धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम टीला सर्वे कुल किता 12 रकबा 9.00 हे0 राजस्व अभिलेख में औतार के नाम से दर्ज है जिसपर सीताराम, धमेन्द्र आदि ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा हटाया जाये। नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने, पटवारी से जांच प्रतिवेदन एवं अनावेदकों के जबाव हेतु नियत किया। अग्रिम कार्यवाही के पश्चात नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 13–11–15 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर औतारसिंह को कब्जा सौपने के आदेश दिये तथा संहिता की धारा 250(3) के अन्तर्गत कलेक्टर को गाईडलाईन के अनुसार भूमि की बाजार मूल्य यानि रूपये 1166000/– प्रति हे0 की दर से रकबा 9.00हे0 का मूल्य रूपये 10494000/– का 20 प्रतिशत 2098800/– जुर्माना आवेदक ठाकुरलाल पर आरोपित किया। सात दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर संहिता की धारा 147 के तहत प्रकरण दर्ज कर वसुली की जकार्यवाही पृथक से करने तथा संहिता की धारा 250 (क) के अन्तर्गत सिविल जेल की कार्यवाही के लिये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजने के आदेश दिये। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का विधिवत जांच किये बिना पारित आदेश निरस्ती योग्य है। बिना साक्ष्य तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि नायब तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण नहीं किया है। आवेदक का अवैध कब्जा प्रमाणित नहीं है। आवेदक का भूमि पर

कब्जा विधिवत है तथा राजस्व अभिलेख में सक्षम अधिकारी के आदेश से अंकित किया गया है ऐसी स्थिति में कब्जे को अवैध मानना सही नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के संबंध में बने नियमों का वर्तमान प्रकरण में पालन नहीं किया है। तहसील न्यायालय का आदेश अंतिम नहीं है यदि यह मान लिया जाये कि आदेश अंतिम है तब भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के यहां अपील लंबित है। फिर भी नायब तहसीलदार ने उसे कब्जा हटाने के आदेश दिये है। अनावेदक कमांक 1 के अतिरिक्त अन्य अनावेदक कमांक 3 से 5 के विरूद्ध कब्जा हटाने एवं जुर्माने के आदेश नहीं किया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क में कहा कि पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके आवेदन पर आदेश दिनांक 31–7–15 पारित किया था जिसमें वादग्रस्त भूमि के कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करने तथा तहसीलदार को संहिता की धारा 250 की कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये थे। इसी आधार पर तहसीलदार के समक्ष उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यह भी तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक औतारसिंह की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिसे उसके द्वारा पूर्व भूमिस्वामी नंदलाल, विजयसिंह, जयसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29–3–2011 से कय की थी। उक्त भूमि पर वह निरंतर खेती करता चला आ रहा है। उसका विधिवत नामांतरण भी राजस्व अभिलेख में दर्ज है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक ठाकुरलाल तथा उसके नौकर सीताराम, धर्मेन्द्र एवं हरवी रावत द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा करने के कारण संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसपर नायब

तहसीलदार ने विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित किया है जो उचित है। अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील होने की कोई कार्यवाही का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। नायब तहसीलदार का आदेश अंतिम है इसलिए इसकी अपील होनी चाहिए निगरानी नहीं की जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में नायब तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई है जो सही है। यह भी कहा कि अनावेदक कमांक 3 सीताराम ने अधीनस्थ न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत कर बतया कि उसका उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है तथा अनावेदक कमांक 3 लगायत 5 ठाकुरलाल के नौकर हैं तथा आवेदक के कहने पर ही उनके द्वारा भूमि पर कब्जा किया था इसलिए नायब तहसीलदार ने आवेदक ठाकुरलाल के विरूद्ध ही बेदखली एवं जुर्माने के आदेश दिये हैं जो उचित हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 3 से 5 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक कमांक 1 तथा 2 वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड विकय पत्र के जरिए भूमि कय की है। आवेदक द्वारा उनकी भूमि पर कब्जा करने के कारण उसे हटाने हेतु नायब तहसलदार को आवेदन पत्र दिया। नायब तहसीलदार द्वारा धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही की तथा आवेदक को कारण बताओ सूना पत्र भी दिया। राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन भी लिया तथा जांच पश्चात यह पाया कि आवेदक द्वारा भूमि पर अवैध रूप कब्जा किया गया है। अनावेदक कमांक 3 से 5 ने यह बताया कि उक्त भूमि पर अतिकमण के सम्बन्ध में उनका कोई लेना देना नहीं है। जबकि आवेदक यह स्पष्ट नहीं कर सका

कि वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा किस प्रकार वैधानिक रूप से उचित है। नायब तहसीलदार का आदेश नियमानुसार है तथा उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार निगरानी में प्रकट नहीं होता। अतः निगरानी निरस्त की जाती है तथा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 13–10–2015 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर